संख्या 3091/आठ–1–2008–29विविध/08टीसी

प्रेषक,

राम निरंजन
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2008

विषय : सोलर वाटर हीटिंग माडल बाईलाज के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया है कि जिन अभिकरणों द्वारा सोलर हीटिंग संयत्र की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या–3894/9–आ–1–29 विविध/98–आ.व., दिनांक 09 अगस्त, 2004 की व्यवस्थानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समाविष्ट करते हुए अपने बोर्ड से यथावत अंगीकृत कराकर शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है, उसे शासन द्वारा ''डीम्ड अनुमोदित'' माना जाये। जिन अभिकरणों द्वारा अभी तक अपने बोर्ड स्तर से अंगीकृत नहीं किया गया है, उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये।

कृपया उपर्युक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

राम निरंजन
अनुसचिव

संख्या : 3991/आठ–1–08, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, आवास बन्धु (अनुश्रवण), को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे इन्टरनेट पर लोड कराकर समस्त अभिकरणों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राम निरंजन
अनुसचिव